मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

संशोधित परीक्षा आयोजन की सूचना, दिनांक 08.06.2010

विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2009/ दिनांक 02.11.2009

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा –2009

चालान की PSC COPY प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.06.2010

01 आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2009 दिनांक 02.11.2009 द्वारा आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु <u>आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी</u> के 105 पद विज्ञापित किये गये थे ।

02 आयोग द्वारा उक्त पद हेतु दिनांक 01.08.2010 को लिखित परीक्षा के आयोजन की सूचना दिनांक 10.05.2010 के रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी । उक्त सूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

(अ) **लिखित परीक्षा दिनांक 01.08.2010 को इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जायेगी ।**

(ब) उक्त परीक्षा हेतु रु. 60/ परीक्षा शुल्क देय होगें । परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस रुपये 30/– का भुगतान भी आवेदक को करना होगा ।

(स) उक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में चालान द्वारा किया जा सकता है । चालान की प्रति आयोग द्वारा समस्त आवेदकों को इस विज्ञप्ति की प्रति के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर **8–06–2010** से भेजी जा रही है । आवेदक चालान पर विहित स्थान पर अपने पंजीयन क्रमांक (आवेदक को प्रेषित विज्ञप्ति की प्रति में उल्लेखित) तथा नाम का अनिवार्यत: उल्लेख करें । आवेदकों द्वारा शुल्क भुगतान के पश्चात चालान की **PSC COPY** अंतिम तिथि **दिनांक 30.06.2010 को सायं 5:30 बजे तक** आयोग को प्राप्त होना अनिवार्य है । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त चालान मान्य नहीं किया जायेगा तथा आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी । ऐसे आवेदकों के द्वारा जमा परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा । चालान की छाया प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें ।

(द) आवेदकों की सुविधा हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर चालान फ़ार्म 10 जून 2010 से उपलब्ध रहेंगें जिन आवेदकों को यथासमय डाक से चालान फ़ार्म प्राप्त नहीं होता है वे आयोग की उपरोक्त वेबसाइटों से चालान फ़ार्म की प्रति डाउन लोड कर सकते है । आवेदक अपना पंजीयन क्रमांक उक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध अर्ह आवेदकों की सूची से ज्ञात कर सकते है ।

(इ) आवेदन पत्रों की जांच में अनर्ह पाये गये आवेदकों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । अनर्ह आवेदकों कों अनर्हता का कारण उल्लेखित निरस्ति पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते पर प्रेषित किये जा रहे हैं ।

(फ़) उक्त परीक्षा हेतु आवेदकों को प्रवेश पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते पर यू. पी. सी. डाक से भेजे जायेंगें । जिन आवेदकों को दिनांक 25.07.2010 तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होते है वे अपने मूल अभिलेखों तथा बैंक चालान की प्रति तथा अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ आयोग कार्यालय में संपर्क करें । रुपये 20/– शुल्क भुगतान के पश्चात उन्हें डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा ।

3 उक्त परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम <u>रोजगार और निर्माण समाचार पत्र</u> के दिनांक 10.05.2010 के अंक में प्रकाशित किया गया है ।

(उषा ...)
प्रभारी सचिव